

NOC LETTER

Registration no: (22213142021826101909) Date: (0) Valid till: (0)



बिहार सरकार

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Delhi Public Secondary School

At Mahamadpur, POST-Mirzapur Bandaur, Distt-Begusarai, Bihar

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BEGUSARAI

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

दिनांक - 01.07.2022



विषय - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूतिकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2021 और उसके क्रम में आपके किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विनियमन समिति के बैठक दिनांक 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Delhi Public Secondary School, At Mahamadpur, POST-Mirzapur Bandaur, Distt-Begusarai, Bihar, Mahamadpur, Begusarai, 851129 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तैयार वर्ष 0 से 26-8-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसूतिकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रसूतिकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूतिकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. स्वेल्डिटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीकृत स्टैट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व को निर्वहन करेगा।


TRUSTEE
Delhi Public School Trust, Delhi
Reg. No.: 18294/05


ATTESTED

PRINCIPAL
D.P.S. SCHOOL
Affiliated to CBSE Delhi upto 10+2 Level
Affn. No.-330252, School Code-65246

NOC LETTER

(viii) शिक्षक किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपंथ का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अलावा उपलब्ध सुविधाओं के अनुयायिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः
 - (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 14715.3 हिसमिल
 - (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 14715.3 हिसमिल
 - (iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- All facilities are available
 - (iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 35
 - (v) प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3
 - (vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग सौभाग्य :- Indian, Boys :- 30, Girls 20
 - (vii) योग्यता की सुविधा :- 30
 - (viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
 - (ix) वाह्यरहित पहुँच () :-
 - (x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- Books, Newspaper, Teaching Lab etc. All types of Indoor and outdoor games. (Y, 898, NewsPaper MagaZine:- 10)
11. कोई भी अप्रत्याशित वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संघटित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संघटित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संघटित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउण्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अलावा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट की एक प्रति प्रतिवर्ष विद्यालय अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रतीकित कोड संख्या [22213142021026101908, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / विद्यालय पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रतीकित की शर्तों के तहत स्वरूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संभालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुसूचक (A) के रूप में संलग्न अन्य शर्तें


हो।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, BEGUSARAI
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

ATTESTED